

अनुमति की शर्तें।

- (1) जका भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (2) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी हतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (3) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (4) स्वीकृत नगरो के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय न. 104, जोधपुर

पी+1
आवासीय

आवेदन क्रमांक 069 दिनांक 12/03/2019
 प्रार्थना श्रीमती पुष्पा कंवर माठवी रेवत्यान जी P.No 161
 ने राजस्थान नगर पंचायत अधिनियम 2009 अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र अधिनियम
 1974 (1) (2) के तहत आवासीय
 भवन निर्माण हेतु आनांचल कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 19584/- जमा
 करिये रसीद संख्या 1005/3989, 1990
 दिनांक 26/03/2019 को जमा करा दी है।

Yashwanth
 प्रारूपकार
 नगर निगम, जोधपुर

श्रीमती
 9462051808